प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 02 जून, 2022

विषय:- जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उदयभान सिंह उर्फ डाक्टर पुत्र स्व0 तहसीलदार सिंह, निवासी जनपद-मीरजापुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14703/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 16.03.2022, दिनांक 09.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी उदयभान सिंह उर्फ डाक्टर पुत्र स्व0 तहसीलदार सिंह, ग्राम सेमरा, थाना-चिल्ह, जनपद-मीरजापुर का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 04.04.1999 को 13 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 03 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-162/2000 भा0द0सं0 की धारा-147, 148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नं0-01, भदोही ज्ञानपुर के आदेश दिनांक 24.04.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.01.2005 द्वारा यथावत रखा गया है। बंदी द्वारा दिनांक 28.08.2021 तक 19 वर्ष 08 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष 00 माह 18 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। **जिला मजिस्ट्रेट@पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर द्वारा बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित न होने, समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, जघन्य अपराध की श्रेणी में होने, रिहा होने पर उभय पक्षों के बीच में पुन: अपराध होने की सम्भावना से इन्कार न किये जाने, मृतक पक्ष से वर्तमान में कसीदगी व्याप्त होने, अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।** दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की उम्र 65 वर्ष होने, कारित घटना की प्रकृति (03 व्यक्तियों की हत्या) एवं पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका (क्रिमि0) संख्या-15/2022 उदयभान सिंह उर्फ डाक्टर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.02.2022 एवं 28.02.2022 को निम्नवत आदेश पारित किया है:-

" Copy of the petition be served additionally to the Standing Counsel for the State of Uttar Pradesh.

Learned senior counsel for the petitioner wants time to place on record the order passed by the Government Authority declining to grant him liberty of pre-mature release.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

List on 28.02.2022."

" Learned Counsel for the petitioner submits that at least looking to the age and period of incarceration of the petitioner, he needs indulgence of interim bail pending petition and even one of the co-accused has been granted interim bail by this Court.

Tag with W.P. (crl.) NO. 386/2021.

Respondents are at liberty to file counter affidavit.

List on 28.03.2022."

4- अत: मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका (क्रिमि0) संख्या-15/2022 उदयभान सिंह उर्फ डाक्टर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.02.2022 एवं 28.02.2022 के अनुपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उदयभान सिंह उर्फ डाक्टर (बन्दी संख्या-2021/2017) पुत्र स्व0 तहसीलदार सिंह, निवासी जनपद-मीरजापुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-71/2022/1364(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर।

2- सुश्री रचना गुप्ता, ए0ओ0आर0, मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, सहारनपुर।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।